



भारतीय जीवन बीमा निगम  
मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश, 30, हजरतगंज, लखनऊ-226016  
फोन-0522-4038322

टेंडर पोर्टल- <https://licindia.in/tender>

जीवन भवन-2, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ के पब्लिक पार्किंग ठेके पर दो वर्षों के संचालन हेतु निविदा आमंत्रण

भारतीय जीवन बीमा निगम, द्वारा सील बंद लिफाफे में द्विस्तरीय निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय), जीवन भवन-2 नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ में बेसमेंट एवं भूतल पर कुल 1668.56 वर्ग मीटर पब्लिक पार्किंग ठेका पर दो वर्षों के लिए संचालित करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है. जिसकी प्रथम वर्ष की आरक्षित धनराशि रु.2564000.00 का 50% रु.1282000.00 (रु बारह लाख बयासी हजार मात्र) निविदा के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है. इच्छुक व्यक्ति/संस्था (जो तीन वर्षों का शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी कम्पनी में ठेका पार्किंग संचालन का अनुभव रखता है तथा निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को पूरा करता हो), उपरोक्त पते पर रु.1180/- GST सहित का भुगतान कर दिनांक 26.12.2024 से 08.01.2025 सप्ताह के सभी कार्य दिवस (अवकाश, शनिवार व रविवार को छोड़ कर) प्रातः 11 बजे से सायंकाल 03 बजे तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकता है. पूर्ण रूप से भरे गए निविदा प्रपत्र दिनांक 09.01.2025 तक सायं 03 बजे तक मंडल कार्यालय लखनऊ में जमा होंगे. तकनीकी बिड 10.01.2025 को सायं 3 बजे खोली जायेगी. निविदा प्रपत्र [www.licindia.in/tender](http://www.licindia.in/tender) पर जाकर "Tender- Advertisement for public parking tender" से भी प्राप्त किया जा सकता है. इस प्रक्रिया में किसी दलाल व बिचौलिया का दखल स्वीकार नहीं होगा. भारतीय जीवन बीमा निगम यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये प्रस्तावों को पूर्णतः /आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार या पूरी प्रक्रिया को ही किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये विलंबित, रोक या रद्द कर सकता है.

व.मंडल प्रबंधक



भारतीय जीवन बीमा निगम  
मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश, 30, हजरतगंज, लखनऊ-226016  
फोन-0522-4038322

टेंडर पोर्टल- <https://licindia.in/tender>

जीवन भवन-2, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ के पब्लिक पार्किंग ठेका हेतु अनुसूची

1*	ठेका का नाम	भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन भवन-2, नवल किशोर रोड हजरतगंज लखनऊ के बेसमेंट एवं भूतल पर 1668.56 वर्ग मीटर पब्लिक पार्किंग संचालन का 2 वर्षों का ठेका
2*	निविदा प्रपत्र का मूल्य	₹.1180/- GST सहित (₹.1000+18% GST )
3*	निविदा के साथ ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाने वाली अग्रिम राशि	₹.1282000.00 (₹ बारह लाख बयासी हजार मात्र)
4*	निविदा प्रपत्र विक्रय कितिथि	दिनांक 26.12.2024 प्रातः 11 बजे से दिनांक 08.01.2025 सायं 3 बजे तक सभी कार्य दिवस पर (अवकाश, शनिवार व रविवार को छोड़ कर )
5*	निविदा मूल्य, अग्रिम धन राशि व उच्चतम बोली व परफोर्मेंस मनी जमा करने का तरीका	सभी धन राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जो लखनऊ में भुगतान योग्य (payable at Lucknow)
6*	निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 09.01.2025 सायं 3 बजे तक
7*	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	दिनांक 10.01.2025 सायं 3 बजे
8*	वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय	सूचित किया जाएगा
9*	पार्किंग परिसर का कब्जा अवधि	उच्चतम निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ जमा की गयी अग्रिम धन राशि को उच्चतम बोली में समायोजन के उपरांत शेष धन राशि का 80% निविदा स्वीकृत /कार्यादेश निर्गत हिने/अनुबध के समय जमा करना होगा .जो वित्तीय बोली के 30 दिन के अन्दर होना चाहिए
10*	ठेका/ पट्टा अवधि	संविदा/अनुबध के शर्तों के अनुसार दो वर्ष
11*	निविदा की वैधता	तकनीकी बिड खोलने की तिथि से 06 माह तक

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक



भारतीय जीवन बीमा निगम  
मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश, 30, हजरतगंज, लखनऊ-226016  
फोन-0522-4038322  
टेंडर पोर्टल- <https://licindia.in/tender>

**सामान्य व तकनीकी सूचनाएँ (तकनीकी निविदा) जीवन भवन-2, नवल किशोर रोड,  
हजरतगंज, लखनऊ के पब्लिक पार्किंग ठेका हेतु**

क्रम स.	निविदा हेतु आवश्यक सूचनाये	निविदादाता द्वारा भरी जाये
1.	फर्म/संगठन का नाम	
2.	स्थिति(प्रोपराइटर/पार्टनर/पा.लि. कम्पनी) पत्र संलग्न	
3.	पत्राचार/स्थानीय पता/फोन/मोबाइल नंबर/ email ID (स्वसत्यापित/प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)	
4.	प्रधान कार्यालय पता फोन/मोबाइल नंबर/ email ID (स्वसत्यापित/प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)	
5.	फर्म का पैन कार्ड(सत्यापित पत्र संलग्न )	
6.	GST पंजीकरण संख्या (प्रपत्र संलग्न)	
7.	दिनांक जब से फर्म/संगठन प्रारम्भ हुई है।	
8.	सभी प्रोपराइटर का नाम व मोबाइल नंबर	
9.	आधार नंबर (स्वसत्यापित/प्रमाणित आधारकी छायाप्रति संलग्न करे	
10.	विगत तीन वर्षों का टर्नओवर वर्ष (2021-22,2022-23,2023-24)	
11.	अन्तिम तीन वर्षों का C.A. द्वारा ऑडिटेड बैलेंसशीट की छायाप्रति	
12.	पंजीकरण संख्या( कम्पनी अधिनियम1956 के अंतर्गत) छायाप्रति संलग्न करे	



13.	मुख्य कार्यपालक का नाम, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर/टेलीफोन/email ID	
14.	बैंक का नाम, पता, टेलीफोन तथा IFSC Code	
15.	क्या पुलिस द्वारा, पता व फ़र्म/संगठन के कार्यरत सदस्यों की जाँच प्रमाणित हुई है (छाया प्रति संलग्न करें)	
16.	पार्किंग के ठेकों के बिगत 3 वर्षों के अनुभव का उल्लेख करें तथा निर्गत अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करें।	
17.	भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी/अधिकारी से सम्बंधित है तो नाम व सम्बन्ध	
18.	यदि फ़र्म/संगठन की अन्य कोई विशेषता देना चाहते हैं तो	
19.	बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण	

#### नियम व शर्तें

भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, 30 हजरतगंज, लखनऊ के अंतर्गत पब्लिक पार्किंग जीवन भवन-2 बेसमेंट एवं भूतल (कुल एरिया 1668.56 वर्ग मीटर), नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ को ठेके पर दो वर्षों के लिए संचालित करने के हेतु नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं:

पार्किंग स्थल का नाम	प्रथम वर्ष की आरक्षित धनराशि के आधार पर आरक्षित निविदा धनराशि	प्रथम वर्ष की आरक्षित धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त द्वितीय वर्ष हेतु आरक्षित निविदा धनराशि	निविदा के साथ ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि ( प्रथम वर्ष की आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष )
जीवन भवन-2 बेसमेंट एवं भूतल (कुल एरिया 1668.56 वर्ग मीटर), नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ	25,64,000.00	28,20,400.00	1282000.00

- 1- पार्किंग स्थलों की निविदा भारतीय जीवन बीमा निगम की विभागीय वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) व समाचार पत्रों में आमंत्रित की जाएगी।
- 2- निविदा द्विस्तारिये तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता को स्वहस्ताक्षरित निम्न अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
  - 2 (क)- निविदादाता को निविदा के साथ अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड, लाइसेंस अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र, स्वहस्ताक्षरित / प्रमाणित छायाप्रति।
  - 2 (ख)- निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित / प्रमाणित छायाप्रति।
  - 2 (ग)- पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित / प्रमाणित छायाप्रति।
  - 2 (घ)- जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित / प्रमाणित छायाप्रति।

- 2(ड) - इस आशय का ₹10 का स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र कि निविदादाता को पूर्व में किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट (काली सूचिबद्ध) नहीं किया गया है तथा निविदादाता पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।
- 2(च) - इस आशय का ₹10 का स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र की निविदादाता का कोई संबंधी/ रिश्तेदार भारतीय जीवन बीमा निगम लखनऊ में सेवारत नहीं है।
- 2(छ)- निविदादाता द्वारा इस आशय का ₹10 का के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र की उसपर सरकारी एवं अर्धसरकारी शासकीय देयताये जैसे आयकर, जीएसटी अथवा अन्य वसूली की धनराशि शेष नहीं है।
- 2(ज)- निविदादाता द्वारा विगत 3 वर्षों (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) की आयकर की रिटर्न की छाया प्रतियां |
- 2(झ)- निविदादाता को श्रम विभाग में अपना पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित / प्रमाणित छायाप्रति |
- 2(ट)- निविदादाता के पास टर्न ओवर निविदा की लागत का न्यूनतम 50% या उससे अधिक का होना चाहिए |
- 2(ठ)निविदादाता के पास शासकीय विभागों /अर्धशासकिये विभागों/निजी कंपनी में कम से कम 1500 वर्ग मीटर पार्किंग एरिया में ठेके के कार्यों का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 2(ड.)- निविदादाता को विगत 3 वर्षों ( 2020-21, 2021 -22 एवं 2022- 23 ) की सी.ए. द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट की छाया प्रति |
- 2(ढ)- निविदादाता को निविदा के साथ निविदा लागत की धनराशि के 50%के बराबर आरक्षित धनराशि जो "भारतीय जीवन बीमा निगम" के नाम डिमांड ड्राफ्ट payable at Lucknow में भुगतान योग्य जमा करना अनिवार्य होगा |
- 2 (ण)- निविदादाता को निविदा के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य (₹ 1000 रूपए +18 % जीएसटी) ₹ 1180/- प्रति निविदा डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा किया जाएगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा मूल्य किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा |
- 3- जो निविदादाता तकनीकी रूप से अर्ह होंगे उन्ही की निविदा खोली जाएगी |  
निविदादाता को वित्तीय निविदा में निम्न नियम एवं शर्तों को पूर्ण करना होगा |
- 4 4(क)- सफल उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) द्वारा निविदा लागत की धनराशि के 10%के बराबर जमानत धनराशि (परफॉर्मंस मनी) का डिमांड ड्राफ्ट जो "भारतीय जीवन बीमा निगम" के नाम डिमांड ड्राफ्ट payable at Lucknow में भुगतान योग्य जमा अनुबंध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा |
- 4(ख)- सफल उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) के पक्ष में कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत असफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई आरक्षित 50% धनराशि उन्हें वापस कर दी जाएगी |
- 4(ग)- उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) द्वारा निविदा के साथ जमा की गई आरक्षित 50% धनराशि को उसकी उच्चतम बोली की धनराशि में समायोजन करने के उपरांत शेष धनराशि का 80% निविदा स्वीकृत/ कार्यादेश निर्गत होने/अनुबंध के समय "भारतीय जीवन बीमा निगम" के नाम डिमांड ड्राफ्ट payable at Lucknow में भुगतान योग्य जमा करना अनिवार्य होगा तथा शेष 20%धनराशि कार्यादेश जारी होने के 15 दिन के अंदर "भारतीय जीवन बीमा निगम" के नाम डिमांड ड्राफ्ट payable at Lucknow में भुगतान योग्य जमा करना अनिवार्य होगा | यदि निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं की जाती है तो रूपए 3000/- प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दंड के रूप में निविदादाता से वसूल किया जाएगा। उक्त नियम एवं शर्तों का पालन न करने पर जमा जमानत धनराशि (परफॉर्मंस मनी) जब्त करते हुए निविदादाता से किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा |
- 4(घ)- निविदा स्वीकृति होने के पश्चात स्वीकृति सम्बन्धी सुचना निविदादाता को प्राप्त होने के सात दिन के अंदर उच्चतम बोली की धनराशि पर 2.266 प्रतिशत आयकर तथा स्वीकृति धनराशी (उच्चतम बोली की धनराशि स्वीकृत होने पर) के सापेक्ष नियमानुसार 4 प्रतिशत धनराशी के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शर्तों का अनुबंध निष्पादित करना होगा | यदि स्टाम्प शुल्क की राशि में कोई कमी/वृद्धि भविष्य में आती है तो उसकी पूर्ति का दायित्व सम्बंधित निविदादाता का होगा | बिना अनुबंध निष्पादित किये पार्किंग शुल्क वसूली का कार्यादेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा | अनुबंध न करने पर तथा आयकर जमा न करने पर वसूली/पार्किंग को अवैध घोषित करते हुए निविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी |



5- सफल निविदा दाता को प्रथम वर्ष की बोली गयी धनराशि में 10 % वृद्धि के उपरांत कुल धन राशि ठेका प्रारम्भ तिथि से 09 माह के पश्चात 30 दिन के अन्दर 'भारतीय जीवन बीमा निगम' के नाम डिमांड ड्राफ्ट payable at Lucknow जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा एक वर्ष पूर्ण होते ही ठेका स्वतः समाप्त हो जाएगा.

6- निविदादाता द्वारा भा.जी.बी. निगम, मंडल लखनऊ से किए गए अनुबंध के अनुसार किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा अन्य विवाद की स्थिति में पार्किंग ठेका अस्वीकार करने / निरस्त करने, धरोहर राशि जप्त करने/ ठेका उच्च ऑफर पर देने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय लखनऊ में निहित होगा। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम, सर्वमान्य तथा बाध्यकारी होगा। जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती देने से पूर्व निविदा की सभी शर्तों का पालन करने हेतु शपथपत्र देते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम, के अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। किसी भी वाद की स्थिति में माननीय न्यायालय लखनऊ परिक्षेत्र होगा।

7- निविदादाता के पास शासकीय विभागों / अर्धशासकिये विभागों/ निजी कंपनी में पार्किंग के ठेके के कार्यों का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा

8- प्राकृतिक आपदा, कर्फ्यू अथवा प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अथवा यातायात व्यवस्था में परिवर्तन के कारण पार्किंग बंद रहने पर यदि निविदादाता को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिए भा..जी.बी. निगम उत्तरदायी नहीं होगा और निविदादाता द्वारा क्षति को वहन किया जाएगा।

9- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित चौहद्दी स्थल में ही निर्धारित दरो के अनुसार पार्किंग शुल्क वसूली का अधिकार प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 तक निविदादाता का होगा तथा पार्किंग स्थल पर वसूली करने हेतु निविदादाता द्वारा नियुक्त कर्मियों को पूर्ण विवरण सहित सत्यापित फोटो युक्त परिचय पत्र कार्मिक को गले में पहनना अनिवार्य होगा।

10- निविदादाता के लिए आवश्यक है कि निर्धारित पार्किंग दरो के अनुसार ही वाहन स्वामी से पार्किंग शुल्क की वसूली Fast Tag/ QR Code/ टोकन हैंड हेल्ड मशीन के द्वारा की जाएगी। पार्किंग शुल्क वसूली हेतु मशीनों की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं किया जाएगा। बिना कूपन/कम्प्यूटरिकृत इंट्री बिना कोई भी वाहन पार्किंग स्थल पर खड़ा नहीं किया जाएगा। पार्किंग सम्बन्धी दरे निम्नवत है।

भारतीय जीवन बीमा निगम,

जीवन भवन -2 बेसमेंट एवं भूतल, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ

भूतल / भूमिगत पार्किंग हेतु निर्धारित पार्किंग शुल्क

रशीद सं०.....

ठेकेदार का नाम :-

मोबाइल नंबर :-

पार्किंग दरे :-

कार एवं चार पहिया वहन रु25.00 प्रति चार घंटा एवं चार घंटे बाद इसके गुणक में


स्कूटर/ मोटर साइकिल रु10.00 प्रति चार घंटा एवं चार घंटे बाद इसके गुणक में

साइकिल रु5.00 प्रति चार घंटा एवं चार घंटे बाद इसके गुणक में

कूपन जारी करने की तिथि.....

समय .....

निर्धारित दरो से अधिक की वसूली किए जाने, निर्धारित दरो का कूपन न प्रयोग करने, पार्किंग कर्मियों द्वारा परिचय पत्र न लगाने अथवा अनियमितता के संबंध में की गई शिकायत सही पाए जाने पर निविदादाता से रुपए 50,000/- अथवा निविदा लगत से 20% जो भी अधिक हो, का जुर्माना वसूल किया जाएगा। नियम एवं शर्तों पुनः उल्लंघन करने पर पार्किंग निविदा निरस्त कर संपूर्ण धनराशि जप्त कर ली जाएगी।



- 11-पार्किंग तिथि से 30 दिनों के बाद खड़ी लावारिस वाहनों ( unclaimed vehicles)को पुलिस को सुपुर्द करना होगा।
- 12 -पार्किंग स्थल पर खड़े होने वाले वाहनों की गहन जांच वहां खड़े होने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से कराने की व्यवस्था अपने व्यय पर निविदादाता को करना होगा।
- पार्किंग स्थल की साफ-सफाई की व्यवस्था सम्बंधित निविदादाता को करनी होगी।
- 13- निविदा की अवधि में शासन/ नगर निगम,लखनऊ/लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं माननीय न्यायालय आदि के द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर/शुल्क आदि की अदायगीका उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।
- 14- निविदा उस समय तक स्वीकृति नहीं समझी जाएगी जब तक भा.जी.बी. निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति न दे दी जाए ।
- 15-निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर 4 X 2 फुट अथवा 4X3 फुट के कम से कम दो सूचना पट मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा, जिस पर निविदादाता का नाम, पता, मोबाइल नंबर अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा रूप 10000/- का अर्थ दंड आरोपित किया जाएगा ।
- 16- माननीय न्यायालय अथवा जनहित में भारतीय जीवन बीमा निगम, लखनऊ/ लखनऊ विकास प्राधिकरण / नगर निगम,लखनऊ /शासन/ द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत निविदा निरस्त होने की दिशा में निविदादाता बिना किसी आपत्ति के भूमि/परिसर को खाली करके कब्जा तत्काल भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंप देगा । ऐसी दशा में निविदादाता की शेष समय की अनुपातिक धनराशि बिना व्याज के वापस कर दी जाएगी। किंतु जनहित में यदि कुछ अवधि की कटौती आवश्यकता अनुसार भ.जी.बी.निगम /शासन/ लखनऊ विकास प्राधिकरण/नगर निगम,लखनऊ अथवा माननीय न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत की जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम,लखनऊ पर नहीं होगा, न हीं निविदादाता द्वारा इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत किया जाएगा ।
- 17-निविदादाता और वाहन स्वामी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद एवं वाहन की क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा। निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों द्वारा पार्किंग क्षेत्र में किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। वाहन और उसमें रखे किसी सामान अथवा किसी भी एसेसरीज के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा ।
- 18- यदि पार्किंग स्थल पर कब्जा सम्बंधित निविदादाता को दिए जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी पक्ष द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उस दशा में निविदादाता द्वारा लिखित प्रत्यावेदन वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम, लखनऊ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । ऐसे प्रकरणों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक में निहित होगा ।
- 19- निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल को निर्धारित अवधि के बीच में छोड़ देने पर जमा राशि (परफॉर्मेंस मनी) किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी ।
- 20-सफल बोलीदाता किसी भी रूप या आकार में या किसी भी विचार के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को पार्किंग स्टैंड चलाने का विशेषाधिकार/उप किराये पर नहीं देगा और/या हस्तांतरित नहीं करेगा ।यदि यह पाया जाता है कि अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति को उपकिराये पर दिया गया है या हस्तान्तरित किया गया है तो उचित कारण बताओ नोटिस देने के बाद वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को अनुबंध रद्द करने अधिकार होगा ।
- 21- भूतल/ बेसमेंट पार्किंग के निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह पार्किंग स्थल से संबंधित विद्युत बिल मय विद्युतमीटर किराया के साथ व उपभोग किये गए विद्युत खपत मूल्य एवं अन्य देयों का स्वयं भुगतान करके बिल की प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, लखनऊ के संपदा विभाग में उपलब्ध कराएगा । पार्किंग स्थलों पर लगे उपकरणों का रखरखाव और उसकी मरम्मत आदि निविदादाता द्वारा स्वयं कराया जाएगा । शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था स्वयं से कराई जाएगी ।
- 22- पार्किंग पार्किंग स्थल में निविदादाता/ ठेकेदार द्वारा कम्प्यूटरीक्रेट, बूम बैरियर, ANPR ( Automatic Number



Plate recognition), CCTV Camera/ Wi-Fi लगवाना/अनुरक्षण करना एवं उक्त से सम्बंधित सभी देयकों का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा उसमें सेव DVR की प्रति निविदादाता/ ठेकेदार को सुरक्षित रखना होगा | सक्षम अधिकारी द्वारा मागे जाने पर रिकॉर्डिंग उपलब्ध करना होगा | पार्किंग संचालन हेतु कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर उच्च गुणवत्ता वाली वर्दी दिया जाना अनिवार्य होगा |

23- पार्किंग स्थल पर लगाए गए उपकरणों व भवन का रख-रखाव/ मरम्मत आदि निविदादाता / ठेकेदार द्वारा स्वयं कराई जाएगी | पार्किंग में बसों व अन्य भारी वाहन की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी |

24- निविदादाता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दिशा में भा.जी. बी. निगम को कि अधिकार होगा कि वह बिना किसी भी पूर्व नोटिस के ठेका निरस्त कर दे तथा निविदादाता द्वारा जमा धनराशी जप्त कर ले | इस संबंध में निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति/ विरोध नहीं किया जाएगा |

25-नगर निगम प्रशासन / उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भविष्य में पार्किंग शुल्क वसूली के संबंध में यदि कोई उपविधि/निति बनाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई करने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक,भा.जी.बी.निगम,लखनऊ में निहित होगा | इस संबंध में निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार आपत्ति/ विरोध नहीं किया जाएगा |

मैं/हम

द्वारा जरी द्विवार्षिक पार्किंग निविदा के सभी नियम व शर्तों से सहमत है तथा निविदा प्राप्त होने के फलस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम के अपक्षायों के अनुसार पूर्णतः सेवाएँ दूंगा |

भारतीय जीवन बीमा निगम,मंडल कार्यालय लखनऊ,

स्थान

दिनांक

माह

2024

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर

प्रथीकृत व्यक्ति / ठेकेदार का नाम

टेलीफोन / मोबाइल नंबर

E-mail ID-